कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दतिया म0प्र0

क्र.क्यू: आरडीएम/लो.स.नि./2019 /1003 दतिया दिनांक : 07/05/2019

::: आदेश :::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत 02–भिण्ड (अजा) संसदीय क्षेत्रान्तर्गत दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्रों 20–सेंवढ़ा, 21–भाण्डेर(अजा), 22–दतिया हेतु दिनांक 12 मई 2019 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वत्रंत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित अत्यावश्यक है कि कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करे। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करना तत्काल रूप से अपरिहार्य हो गया है।

2. अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। मुझे तदनुसार आदेश प्रसारित करने की आकस्मिकता तथा तत्सम्बन्धी पर्याप्त आधार विद्यमान होने की पूर्णरूपेण तुष्टि होती है।

3. चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं सम्बधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

4. अतः मैं रामप्रताप सिंह जादौन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दतिया जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर मतदान की समाप्ति की अवधि के 48 घंटों पूर्व (दिनांक 10.05.2019 सायं 06:00 बजे) से निम्नानुसार आदेश देता हूँ कि –

(क) वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभायें नहीं होगी या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर–घर जाकर शांतिपूर्ण आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जनसंपर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा।

(ख) उक्त अवधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एक स्थान पर एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही ही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) दिनांक 10.05.2019 को शाम 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

(ग) प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि/पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु आये हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा।

(घ) धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसोर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय–वाटिका के संचालक के किसी भी बाहरी व्यक्ति जो निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में संलग्न हों को अपने परिसर में नहीं ठहरायेंगे या न इस हेतु अनुमति ही प्रदान करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे।

(ड) कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर जिला या अन्तर राज्यीय सीमाओं में इस आदेश में यथाउपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा।

(च) पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा दिनांक 10.05.2019 सायं 06:00 बजे से दिनांक 12.05.2019 तक यथा घोषित शुष्क दिवसों का पूर्णरूपेण पालन करायेंगे।

(छ) कोई भी व्यक्ति दिनांक 10.05.2019 को सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करेगा।

(ज) कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्ति चित्र, निशान, झण्डा, बैनर इत्यादि नहीं लगायेगा या न लगाने का प्रयास ही करेगा।

(झ) केवल मतदान के दिवस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उनके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ञ) अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन में मूलतः (कलर्ड फोटोकॉपी नहीं) चिपकाकर प्रदर्शित करनी होगी।

(ट) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आबंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा।

(ठ) कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(5) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साइकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों पर दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही कर तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

(ड) कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो तो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यह प्रतिबंध केवल पीडब्लूडी वोटर्स मतदान हेतु लाने हेतु निर्धारित वाहनों पर लागू नहीं होगा।

(ढ) मतदान के दिन निजी वाहन, जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है, अस्पताल वैन, ऐम्बुलेंस, दूध, पानी के टेंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्त्तव्यबद्ध अधिकारियों के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(ण) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा।

(त) किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्त्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(थ) किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली अशासकीय पर्चियां किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना जारी होंगी तथा सारी पर्चियां सफेद रंग की रहेंगी।

(द) कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियां (बिना तम्बू के लगेंगी)। टेबल पर एक बैनर 3 फुट X 1.5 फुट का लगाया जा सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा बूथों में नियुक्त व्यक्ति अपने साथ अपना मतदाता पहचान पत्र रखेंगे।

(ध) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में शस्त्र के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध से सुरक्षा कर्मियों द्वारा ईडीसी के माध्यम से मतदान करने हेतु बिना शस्त्र के मतदान केन्द्र में प्रवेश हेतु छूट रहेगी।

(न) कोई भी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र का मतदाता न हो मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक नियुक्त मतदान अभिकर्ता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करेगा।

(प) निर्वाचन के संचालन नियम 49–घ के तहत केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से सहज दृष्य रूप में प्रदर्शित करेंगे।

(फ) मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करेंगे जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रकट होती हो।

(ब) पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफीसर व्यय अनुवीक्षण तंत्र की विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे FST, SST को 24 घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगे।

(भ) मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू.डी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्रायसायकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी।

(म) पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस **शिकायत अनुवीक्षण तंत्र** को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 100 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक संवेदनशील मतदान केन्द्रों तथा वन्लरेबल क्षेत्रों को 48 घंटे पूर्व से अधिकार में लेने की सीएपीएफ द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे।

यह आदेश दिनांक 10.05.2019 को सायं 06:00 बजे से लागू होकर दिनांक 12.05.2019 को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षरों एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

7/5/19

(रामप्रताप सिंह जादौन)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दतिया (म.प्र.)

पृ. क्र.क्यू: आरडीएम/लो.स.नि./2019/1103 दतिया दिनांक : 7/5/2019

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0 प्र0 भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।

(3) प्रमुख सचिव, म0प्र0, गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
(4) पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 भोपाल।
(5) आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर।
(6) पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज ग्वालियर।
(7) कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफीसर संसदीय क्षेत्र 02–भिण्ड (अजा) भिण्ड (म0प्र0)
(8) पुलिस अधीक्षक, दतिया की ओर पालनार्थ।
(9) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया।
(10) समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर लोकसभा निर्वाचन 2019 जिला दतिया की ओर पालनार्थ।
(11) समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (पुलिस) जिला दतिया।
(12) समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दतिया।
(13) समस्त थाना प्रभारी, जिला दतिया।
(14) दतिया जिले के समस्त राजनैतिक दलों के प्रभारी।
(15) सहायक संचालक, जनसंपर्क, दतिया की ओर उक्त आदेश प्रसारित करने हेतु।
(16) डीआईओ, (एनआईसी) श्री अनिल पालीवाल, दतिया।
(17) स्टेनो–टू–कलेक्टर, दतिया।

7/5/19

जिला दण्डाधिकारी
जिला दतिया